न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2017/00129 **दायर दिनांक 11.08.2017**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरू (राजस्थान) —सायल—

बनाम

राकेश कुमार पुत्र आन्नदीलाल जाति दर्जी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 19 चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 25.03.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल राकेश कुमार पुत्र आन्नदीलाल जाति दर्जी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 19 चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	जे.एफ. नम्बर	नतीजा अदालत
1.	242/2015 थाना कोतवाली चूरू	13 आर.पी.जी.ओ	चालान 04.11.2015	1432/2015	सजा 04.11.2015
2.	319/2015 थाना कोतवाली चूरू	13 आर.पी.जी.ओ	चालान 03.12.2015	—	जैर तजबीज
3.	365/2015 थाना कोतवाली चूरू	13 आर.पी.जी.ओ	चालान 03.03.2016	241/2016	सजा 03.03.2016

अतः इस्तगासा विरुद्ध राकेश कुमार पुत्र आन्नदीलाल जाति दर्जी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 19 चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वंय हाजीर होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार कर माफ करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिनांक 25.03.2022 प्रस्तुत किया।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम राकेश कुमार

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 04.11.2015, 03.12.2020 व 03.03.2016 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल राकेश कुमार पुत्र आन्नदीलाल जाति दर्जी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 19 चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल राकेश कुमार पुत्र आन्नदीलाल जाति दर्जी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 19 चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल राकेश कुमार को थानाधिकारी रतननगर थाना को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/3/22

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)